

—: न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म0प्र0) :-

क्रमांक : 101/2024

उज्जैन, दिनांक- 01/02/2024

// रिमाण्ड ड्यूटी आदेश //

प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से माह फरवरी 2024 में आने वाले सार्वजनिक अवकाश में जिला उज्जैन के विभिन्न थानों, आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड के निराकरण हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके नाम के आगे दर्शाये गये दिनाकों पर दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक अपने न्यायालय में आवश्यक कर्मचारियों सहित उपस्थित होकर, प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड का निराकरण करेंगे :-

तहसील उज्जैन			
क	अधिकारी का नाम	पद	फरवरी 2024
1	श्री अतुल यादव	जे.एम.एफ.सी.	04/02/2024
2	श्रीमती पल्लवी	जे.एम.एफ.सी.	11/02/2024
3	श्री विनायक गुप्ता	जे.एम.एफ.सी.	14/02/2024
4	सुश्री सोनाली वर्मा	जे.एम.एफ.सी.	17/02/2024
5	सुश्री अंकिता प्लास	जे.एम.एफ.सी.	18/02/2024
6	सुश्री प्रियंका सोलंकी	जे.एम.एफ.सी.	25/02/2024
तहसील नागदा			
1	श्रीमती सुनीता ताराम	जे.एम.एफ.सी.	04 व 17/02/2024
2	सुश्री सौम्या गौर	जे.एम.एफ.सी.	11 व 18/02/2024
3	श्री हिमांशु पालीवाल	जे.एम.एफ.सी.	14 व 25/02/2024
तहसील बड़नगर			
1	श्री अंकित श्रीवास्तव	जे.एम.एफ.सी.	04 व 17/02/2024
2	सुश्री सोनल गुप्ता	जे.एम.एफ.सी.	11 व 18/02/2024
3	सुश्री सोनम देहारिया	जे.एम.एफ.सी.	14 व 25/02/2024
तहसील तराना			
1	श्रीमती सपना शर्मा	जे.एम.एफ.सी.	04, 14 व 18/02/2024
2	श्री चेतन बजाड	जे.एम.एफ.सी.	11, 17 व 25/02/2024
तहसील महिदपुर			
1	श्री आकाश शर्मा	जे.एम.एफ.सी.	04, 14 व 18/02/2024
2	सुश्री आयुषी शर्मा	जे.एम.एफ.सी.	11, 17 व 25/02/2024
तहसील खाचरौद			
1	श्री पंकज बुटानी	जे.एम.एफ.सी.	समस्त सार्वजनिक अवकाश एवं स्थानीय अवकाश

नोट :-

- 1- माननीय न्यायालय अथवा राज्य शासन द्वारा उपरोक्त अवधि में उक्त आकस्मिक/स्थानीय अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई आकस्मिक/स्थानीय अवकाश घोषित करने की स्थिति में एवं ऐसा कोई अवकाश जो उपरोक्त सूची में नहीं है, उस अवकाश वाले दिन मुख्यालय उज्जैन में श्री सीताराम दास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन रिमाण्ड का कार्य करेंगे एवं अन्य तहसीलों में ऐसे आकस्मिक/स्थानीय अवकाश वाले दिन तहसील में पदस्थ सबसे वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड का कार्य आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे।
- 2- मजिस्ट्रेट आवश्यक कार्य/विपरीत परिस्थितियों में आपस में रिमाण्ड ड्युटी की दिनांक में अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति लेकर परिवर्तन कर सकते हैं। इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जैन को देवें और इस संबंध में स्टाफ को सूचित करें।



(राजेन्द्र सिंह सिंगार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)

प्रतिलिपि :-

क्रमांक :101...../2024

उज्जैन, दिनांक- 01/02/2024

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- श्री/श्रीमति/कु. समाना ए.सी.जे.एम/जे.एम.एफ.सी. उज्जैन/नागदा/खाचरौद/बड़नगर/महिदपुर/तराना, जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ई-मेल/वाट्सअप के माध्यम से प्रेषित।
- 3- अध्यक्ष, बार एसोसिएशन उज्जैन/नागदा/खाचरौद/बड़नगर/महिदपुर/तराना जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- जिला अभियोजन अधिकारी, अभियोजन कार्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- सिस्टम आफिसर/सिस्टम असिस्टेंट उज्जैन की ओर सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक रूप से ई-मेल से सूचित करने हेतु प्रेषित।


(राजेन्द्र सिंह सिंगार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)